

dk; kly; ifyl v/khfk d tuin xks Mk fnukd 24-11-2022

'kkfrHkx dh vk'kad ds eisutj ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 okjMh vfhk; ä fxj rnkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0देहात पुलिस ने 01, थाना खोडारे पुलिस ने 01, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

voYk 'kjk ds fu"d"kZk] fcØh o ifjogu ds fo#) tuinh; ifyl }kjk dh xbl dk; bkgh&

01- Fkkuk bfV; kFkksd }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. हरिश्चन्द्र सोनकर पुत्र पीताम्बर सोनकर निवासी अहिरौलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-476/22, 02. जियालाल सोनकर पुत्र चौधरी सोनकर निवासी पण्डितपुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 477/22 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk [kkMkjs }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. श्याम लाल पुत्र काशी प्रसाद निवासी कूकनगर ग्रन्ट मौजा बुधराम पुरवा थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-203/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03- Fkkuk othjxat ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. नन्दलाल पुत्र मातादीन निवासी ग्राम भगोहर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-512/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।